



भारतीय रिज़र्व बैंक
सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष
कानपुर

भा.रि.बैं./कानपुर/डीआईटी/11/19-20/ईटी/427

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में
तीन वर्ष की अवधि के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक
रखरखाव संविदा हेतु वेंडरों का पैनल बनाने (भाग - I)

एवं

एक वर्ष के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव
संविदा (भाग - II)

हेतु

ई-निविदा

निविदा अनुसूची

कार्य का नाम	तीन वर्ष की अवधि के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु वेंडरों पैनल बनाना और एक वर्ष के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी)
ई-निविदा सं.	भा.रि.बैं./कानपुर/डीआईटी/11/19-20/ईटी/427
निविदा का तरीका	https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/buyer_login.jsp के जरिए ई-निविदा प्रणाली (भाग-I तकनीकी बोली और भाग -II मूल्य बोली)
सी. पक्षकारों के लिए एनआईटी डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध होने की तिथि	16 मार्च 2020
डी.बोली पूर्व बैठक	ऑफलाइन- 30 मार्च, 2020 को 15:00 बजे स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वितीय मंजिल, सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, माल रोड, कानपुर
ई. i) बयाना जमा राशि	हमारे खाता सं. 186003001 , आईएफएससी RBIS0KNPA01 में रु. 30,000/- एनईएफटी करें। कृपया दिए गए प्रारूप अनुबंध - IX में आवेदन करते समय यूटीआर सहित लेनदेन विवरण का उल्लेख करें। तथापि, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित) को ईएमडी राशि जमा करने से छूट दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली पात्र फर्मों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ii) निविदा शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेन्ट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल में किए गए उल्लेख के अनुसार लेन-देन शुल्क का भुगतान

एफ. एनईएफटी के जरिए ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22 अप्रैल 2020 को 16:00 बजे
जी. https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑन-लाइन तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू करने की तारीख	19 मार्च 2020 को 11:00 बजे
एच. ऑन-लाइन तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के बंद होने की तारीख	23 अप्रैल 2020 को 11:00 बजे
आई. भाग-I के खुलने की तिथि और समय (अर्थात् टेक्नो-कमर्शियल बोली) भाग-II मूल्य बोली : भाग-II के खुलने की तिथि अर्थात् मूल्य बोली की सूचना अगल से दी जाएगी।	23 अप्रैल 2020 को 15:00 बजे
जे. लेनदेन शुल्क	18 प्रतिशत जीएसटी सहित ₹1180/- एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेन्ट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, कानपुर ने इच्छुक पक्षों को परियोजना के संबंध में आवश्यक सूचना देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में समुचित ध्यान रखा है और इसे सही मानता है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसका कोई प्राधिकरण अथवा एजेन्सी, न ही उनका कोई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्ट अथवा सलाहकार ही इस दस्तावेज में निहित जानकारी अथवा इसके संबंध में प्रदत्त किसी सूचना के पूर्ण होने अथवा सही होने की कोई वारंटी देता है अथवा कोई व्यक्त या अव्यक्त प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है।

जानकारी को सम्पूर्ण न माना जाए। इच्छुक पक्ष अपने प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ कर सकते हैं और प्रतिवादी को इस बात की पुष्टि लिखित में करनी होगी कि उन्होंने ऐसा ही किया है और निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई सूचना पर ही निर्भर नहीं हैं। यह सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसके किसी प्राधिकरण अथवा एजेन्सी अथवा उनके किसी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्ट अथवा सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पैनल के साथ आगे न बढ़ने अथवा परियोजना का कॉन्फिगरेशन बदलने, इस दस्तावेज में दर्शाई गई समय-सारणी को बदलने अथवा लागू प्रक्रिया अथवा कार्यविधि को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति करने वाले किसी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से मना करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति करने वाले किसी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को किसी भी प्रकार के लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर की ई-खरीद प्रक्रिया है। ई-खरीद हेतु सेवा प्रदाता /ठेकेदार/ वेंडर एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना और उत्तरवर्ती शुद्धिपत्र, यदि कोई, को पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। केवल पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोली ईलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है/कर सकते हैं। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली को प्रस्तुत के लिए ईलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर लगाई जा सकती है। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास श्रेणी III वाला हस्ताक्षरकर्ता डिजिटल प्रमाण-पत्र होना चाहिए। वेंडर इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली प्रस्तुत करने संबंधी अपनी स्वयं की व्यवस्था करें। एमएसटीसी/भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर के बिना दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट

तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली को केवल ऑनलाइन https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/buyer_login.jsp पर प्रस्तुत किया जाना है।

1). वेंडर को ऑन-लाइन पंजीकरण करना आवश्यक है- www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/ सरकारी विभाग → आरबीआई लोगो चुनें-> वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरकर और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं → प्रस्तुत करें।

2). वेंडर के पंजीकरण की पुष्टि संबंधी सिस्टम जनित मेल उनके उस ई-मेल में प्राप्त होगा जिसे उन्होंने पंजीकरण फार्म भरने के दौरान दिया था। किसी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/ भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर से सम्पर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)

एमएसटीसी संपर्क व्यक्ति

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	ईमेल आईडी	दूरभाष नं.
1.	श्री रोहित कुमार सिंह	rohitsingh@mstcindia.co.in	0522-4244702
2.	श्री नितिन आनंद	anandnitin@mstcindia.co.in	0522-4240445

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई कानपुर)

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	ईमेल आईडी	दूरभाष नं.
1.	श्रीमती शिल्पा यादव, प्रबंधक	shilpayadav@rbi.org.in	0512-2306840
2.	श्री प्रमोद कुमार अस्थाना, स.प्र.	pkasthana@rbi.org.in	0512-2306840
3.	श्री वरुण महाजन, सहा. प्रबंधक	varunmahajan@rbi.org.in	0512-2306840

बी) अपेक्षित सिस्टम

1. i) विन्डो XP-SP3 एवं विन्डो 7 या उससे ऊपर के ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii) आईई-7 और उससे ऊपर के इंटरनेट ब्राउजर
- iii) हस्ताक्षरकर्ता श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) जेआरई 7 अद्यतन 9 और उससे ऊपर का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और सिस्टम में इंस्टाल करना।

v) साइनर बॉक्स में डीएससी को दिखाई देने के लिए "प्रोटेक्टेड मोड" को निष्क्रिय करने हेतु, निम्नानुसार सेटिंग की जाए।

टूल्स => इंटरनेट ऑप्शन => सिक्यूरिटी => प्रोटेक्टेड मोड यदि सक्रिय हो तो उसे निष्क्रिय करें अर्थात "इनेबल प्रोटेक्टेड मोड" वाले टिक बॉक्स से टिक को हटाए।

अन्य सैटिंग्स

टूल्स => इंटरनेट ऑप्शन => जनरल => "ब्राउजिंग हिस्टरी/डिलिट ब्राउजिंग हिस्टरी" के अंतर्गत सेटिंग पर क्लिक करें => टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स => "इवरी टाइम आई विजिट दी होमपेज" को सक्रिय करें।

टूल्स => इंटरनेट ऑप्शन → कस्टम लेवल के अंतर्गत सभी एक्टिव एक्स कंट्रोल को इनेबल करने और 'यूज पॉप अप ब्लॉकर' को डिसेबल करने के लिए (कृपया www.mstcecommerce.com पेज से आईई सेटिंग को एक बार रन करें।

अधिक जानकारी हेतु, वेंडर सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर गाइड और www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

2. तकनीकी बोली और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। निविदाएं निविदा में दी गई निर्धारित तारीख और समय पर ईलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

3. निविदा में सभी प्रविष्टियां किसी अस्पष्टता के बिना ऑनलाइन तकनीकी एवं मूल्य बोली फॉर्मेट में की जाएंगी।

लेनदेन शुल्क के लिए विशेष नोट

वेंडरों द्वारा वेंडर लॉग-इन में “माई मेनू” के अंतर्गत “लेन-देन शुल्क भुगतान” का प्रयोग करते हुए लेन-देन शुल्क का भुगतान किया जाना है। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर को इवेन्ट ड्रॉप-डाउन बॉक्स से निविदा विशेष का चयन करना है। वेंडर के पास एनईएफटी अथवा ऑन-लाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। एनईएफटी के माध्यम से भुगतान का चयन करने पर, वेंडर एक फार्म भरने के बाद चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर चालान पर मुद्रित विवरण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बगैर, उस विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान करेगा। ऑन-लाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग का प्रयोग करके भुगतान करने की सुविधा होगी। एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में एक बार भुगतान हो जाने पर, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और वेंडर को सिस्टम जनित ई-मेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क वापस नहीं की जाएगी

लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना, वेंडर को ऑनलाइन ई-निविदा का एक्सेस प्राप्त नहीं होगा।

टिप्पणी

बोलीकर्ता उक्त ई-निविदा की तारीख समाप्ति से पर्याप्त समय रहते लेनदेन शुल्क का भुगतान करें, ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।

5. अपलोड की गई ई-निविदा/ शुद्धिपत्र के बारे में सूचना निविदा को अंतिम रूप देने के दौरान ही ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। अतः वेंडर को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी कार्पोरेट ई-मेल आई.डी. वैध है और वेंडर की एमएसटीसी से पंजीकरण करते समय अद्यतन की गई हो। वेंडरों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

6. ई-निविदा को निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित तारीख और समय के बाद एक्सेस नहीं किया जा सकता।

7. ई-निविदा में बोली लगाना:

ए) ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने हेतु पात्र होने के लिए वेंडर द्वारा आवश्यक ईएमडी और लेन-देन शुल्क (यदि कोई हो) प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेनदेन शुल्क प्रतिदेय नहीं हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल न होने वाले वेंडर (वेंडरों) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रतिदेय होगी। मौजूदा नीति के अनुसार, एमएसई पंजीकरण वाले उद्यमों को ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी।

बी) उक्त प्रक्रिया में तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने हेतु ईलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

सी) ऐसे वेंडर (वेंडरों) जिन्होंने लेनदेन शुल्क जमा कर दी है, वे अपनी तकनीकी बोली और मूल्य बोली एमएसडीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/ सरकारी विभाग → लॉगिन अंडर आरबीआई → माई मेनू → ऑक्शन फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन पर इंटरनेट के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकते हैं।

डी) सेवा प्रदाता/ठेकेदार/ वेंडर जावा एप्लिकेशन को चलाने की अनुमति देगा। यह प्रक्रिया बोली खुलने के तुरंत बाद पूरी की जानी है। तत्पश्चात, वे सामान्य शर्त/ वाणिज्यिक विशिष्टता को पूर्ण करेंगे और उसे सहेजेंगे। उसके बाद, तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलता है तो वेंडर अपनी तकनीकी बोली को सहेज/प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

ई) तकनीकी बोली भरने के बाद, वेंडर अपनी तकनीकी बोली को दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करें। एक बार ऐसा हो जाने पर, मूल्य बोली का लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरा जाना होता है और फिर वेंडर अपनी वाणिज्यिक बोली को दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करें। जब तकनीकी बोली और मूल्य बोली दोनों सहेज ली जाती हैं, तो सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर अपनी बोली का पंजीकरण करने के लिए "अंतिम रूप से प्रस्तुत" पर क्लिक कर सकता है।

एफ) वेंडर दस्तावेज को अपलोड करने के लिए **अटैच डॉक बटन** का उपयोग करें। कई दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

जी) सभी मामलों में, वेंडर अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर वाले स्वयं की आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करें।

एच) सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, वेंडर एक दूसरे के प्रति और अन्य प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भी पूर्णतः अज्ञात बने रहेंगे।

आई) ई-निविदा प्रस्तुत करने का स्थान पहले से घोषित तारीख और समय तक और ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

जे) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां वेंडर के लिए कानूनन बाध्यकारी होंगी। उस वेंडर द्वारा प्रस्तावित किसी भी बोली को वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति उसे निष्पादित करने हेतु क्रेता और सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के बीच बाध्यकारी संविदा होगी।

के) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एल) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताये निविदा के सम्पूर्ण भाग अथवा कुछ भाग, जो भी मामला हो, को रद्द करने अथवा अस्वीकार करने अथवा स्वीकार करने अथवा वापस लेने अथवा आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

एम) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में किसी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी वेंडर द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना इस बात की पुष्टि करता है कि उसे निविदा के नियमों और शर्तों स्वीकार हैं।

8. इस निविदा से उत्पन्न कोई आदेश इसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों द्वारा अभिशासित होगा।

9. तकनीकी और मूल्य नियम तथा शर्तों में किसी प्रकार की भिन्नता की अनुमति नहीं होगी।

10. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताये इस ई-निविदा को रद्द करने अथवा बोली (बोलियों) के प्राप्त होने की नियत तारीख को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।

11. वेंडरों से अनुरोध है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर गाइड को पढ़ लें और <https://www.mstcecommerce.com/eprochome> के पेज पर दिए विडियो को देख लें।

तीन वर्ष के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) हेतु वेंडरों का पैनल बनाना और एक वर्ष के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर

ई-निविदा नोटिस

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर अपने कार्यालय में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए वेंडरों का पैनल बनाना चाहता है (इसकी प्रॉपर्टीज़ अनुबंध बी के रूप में संलग्न है) और इसलिए बैंक की विभिन्न संपत्तियों पर स्थिति इसके मौजूदा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाली प्रतिष्ठित कंपनियों से ई-निविदा आमंत्रित करता है।

2. सबसे कम बोली लगाने वाले को एक वर्ष के लिए कार्य-आदेश दिया जाएगा, जिसे बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के आधार पर दो और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संतोजनक निष्पादन न करने पर, बैंक बाद के वर्षों के लिए सूचीबद्ध वेंडरों से मूल्य बोलियां प्रस्तुत करने हेतु कह सकता है।

3. इच्छुक वेंडर ई-निविदा के माध्यम से भाग लेने हेतु एमएसटीसी पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi> पर स्वयं को पंजीकृत करें। पूर्ववर्ती अनुभव संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य को ई-निविदा के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है, जिसके न होने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले और कार्य सौंपे जाने पर विचार किए जाने हेतु इच्छुक वेंडर सभी आवश्यक दस्तावेज www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर अपलोड करें।

4. निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी निम्नानुसार है:

ए	ई-निविदा लिंक आरम्भ करने की तारीख	16 मार्च 2020 को 11:00 बजे
बी	ई-निविदा लिंक बंद करने की तारीख	23 अप्रैल 2020 को 11:00 बजे

सी	तकनीकी बोली खुलने की तारीख /समय/स्थान	23 अप्रैल 2020 को 15:00 बजे, द्वितीय मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक
डी	मूल्य बोली खुलने की तारीख और समय	तकनीकी बोली खुलने के बाद घोषणा की जाएगी

5. पात्रता मानदंड, नियम व शर्तें, तकनीकी बोली और मूल्य बोली का प्रारूप एवं मदों की संख्या की सूची और अन्य ब्योरे **अनुबंध** में प्रस्तुत हैं।

6. ई-निविदा को निविदाकर्ताओं के ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जिन्हें निविदा खोलने के समय और स्थान पर उपस्थित रहने हेतु चुना गया हो। निविदाकर्ता यथोक्त तिथियों को निविदा खोलने के समय प्राधिकार पत्र के साथ प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। वेंडरों की पैनलसूची 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर वेंडर का कार्यनिष्पादन संतोषजनक हो।

7. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है और इस मामले में किसी प्रकार के पत्राचार का जवाब नहीं देगा।

2. कार्य का दायरा

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र प्रतिष्ठित निविदाकारों से निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन ई-निविदा आमंत्रित करता है। संविदा का अनुमानित मूल्य 15 लाख है।

2.1 निषिद्ध कार्य

बैंक यह अपेक्षा करता है कि निविदाकार, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार जो बैंक के साथ कारोबारी संबंध रखने के इच्छुक हैं, वे संविदा/सूचीबद्ध रखने की अवधि के दौरान आचरण के सर्वोत्तम मानकों का पालने करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

(a) इन प्रावधानों के उद्देश्य हेतु, निम्नानुसार निर्धारित शर्तों को निषिद्ध कार्य के रूप में परिभाषित करता है:

(i) "भ्रष्ट प्रथा" का आशय सार्वजनिक कार्रवाई को प्रभावित करने हेतु किसी प्रकार के मूल्य की प्रत्यक्ष अथवा परेक्ष रूप से पेशकश, देने, प्राप्त करने अथवा आग्रह करना और

(ii) "धोखाधड़ी की प्रथा" का अर्थ कोई कार्य अथवा चूक जिसमें गलत बयानी शामिल है जो वित्तीय अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने अथवा बाध्यता को पूरा न करने हेतु किसी पक्ष को जान बूझकर अथवा अनजाने ही गुमराह अथवा गुमराह करने की कोशिश करना।

(iii) "प्रतिरोधी प्रथा" का अर्थ किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित तरह से प्रभावित करने हेतु किसी पक्ष अथवा किसी पक्ष की संपत्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना अथवा धमकी देना।

(iv) "कपटपूर्ण प्रथा" का अर्थ किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित तरह से प्रभावित करने सहित अनुचित उद्देश्य को पूरा करने हेतु दो या दो से अधिक पक्षों के बीच व्यवस्था;

(b) यदि यह पाया जाता है कि जिस ठेकेदार को प्रश्नगत करार पूरा करने का कार्य आबंटित किया गया है, वह निषिद्ध कार्यों में संलिप्त है तो आबंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।

(c) यदि बैंक किसी भी समय यह पाता है कि निविदाकार संविदा को पूरा करने अथवा उसे कार्यान्वित करने में निषिद्ध कार्यों में संलिप्त है तो निविदाकार को अनिश्चित समय अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, निविदाकार को नियमों और शर्तों (संविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तों) में उल्लिखित प्रावधानों से परिचित होना होगा।

2.2 कार्य का दायरा

बैंक के पास विभिन्न प्रकार के (मेक/मॉडल) के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर और लैपटॉप, प्रिंटर (नेटवर्क लेज़र जेट प्रिन्टर्स (कलर और ब्लैक एंड हवाईट), ऑफिस जेट प्रिन्टर्स और स्कैनर्स, प्रिन्टर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण, एलईडी/एलसीडी हैं। कंप्यूटर के इन सहायक उपकरणों को व्यापक एएमसी द्वारा कवर किया जाएगा जिसके अंतर्गत निवारक रखरखाव, सुधारात्मक रखरखाव, पार्ट्स बदलना, घटकों की शिफ्टिंग की जानी है।

2.3 रखरखाव

(ए) निवारक रखरखाव

उपकरणों की निवारक रखरखाव सेवा त्वरित सुधारात्मक रखरखाव सेवा जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियमित और उचित निवारक रखरखाव सेवा उपकरणों का निर्बाध कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करती है। वेंडर को **प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक निवारक रखरखाव सूची**

उपलब्ध करानी चाहिए। निवारक रखरखाव के दायरे में एचडीडी, प्रॉसेसर्स, पावर सप्लाइ (एसएमपीएस) आदि का हेल्थ चेक जैसे हार्डवेयर से संबंधित विशेष पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्रयोक्ता विभाग के साथ परामर्श करने के बाद ऐसे कार्य के लिए तय समय को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा। वेंडर के प्रतिनिधि से परामर्श करके असली विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट और अनुशंसित बातों/ सर्वोत्तम प्रणाली के अनुरूप निवारक रखरखाव के कार्यक्षेत्र को डिज़ाइन किया जाएगा।

(बी) सुधारात्मक रखरखाव

सुधारात्मक रखरखाव का अभिप्राय है समस्या को चिह्नित करना और उन्हें दूर करना जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टाल/ रीइंस्टाल करना, प्रिंटर को सेट-अप/ कंफिगर करना, आंतरिक रूप से विकसित या अन्य पक्ष द्वारा विकसित ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों, प्रिंटर ड्राइवर्स, एंटी-वायरस एजेंट, स्मार्ट कार्ड रीडर ड्राइवर्स, सेंडिंग डिस्क लोगो/ स्कैन लोगो इत्यादि को रीइंस्टाल/ इंस्टाल करना शामिल है।

(सी) खराब पार्ट्स को बदलना

वेंडर एएमसी के तहत सभी आईटी आस्तियों के टूटे अथवा खराब पार्ट / घटक को बदलेगा और बैंक इसके लिए उसे किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा। प्रिंटर के लिए, जहाँ पार्ट सर्विसयोग्य नहीं हैं और पार्ट्स जैसे कि प्लास्टिक के पार्ट, प्रिंटर नॉब्स, पेपर फीड, प्रिंटर इंटरफ़ेस कॉर्ड, पावर कॉर्ड इत्यादि को बदलने की आवश्यकता है तो कंपनी बिना किसी अतिरिक्त लागत के ऐसे पार्ट्स बदलेगी। यदि वेंडर घटकों / पार्ट्स की अनुपलब्धता के कारण किसी उपकरण का रखरखाव करने में सक्षम नहीं है, तो वेंडर घटक (कों)/पार्ट्स को अपनी लागत पर अपग्रेड करेगा और उपकरण (णों) को चालू हालत में रखना उसकी जिम्मेदारी होगी, अथवा अन्यथा वेंडर द्वारा जब तक इसकी मरम्मत अथवा इसे बदला नहीं जाता है तब तक के लिए उसी के समान अथवा उच्चतर संगत कॉन्फ़िगरेशन वाला वैकल्पिक सिस्टम अपनी लागत पर प्रदान करेगा।

यदि सिस्टम वारंटी के तहत कवर है जो कि एएमसी के दायरे में नहीं आता है, ऐसे मामले में सर्विस इंजीनियर संबंधित वेंडर/ओईएम को संपर्क करेगा और उपकरण के किसी पार्ट्स अथवा घटकों को ठीक करने, मरम्मत करने और बदलने के लिए आवश्यक अनुवर्तन कार्रवाई करेगा और इसकी जानकारी आईटी कक्ष के पदाधिकारियों को देगा।

2.4 कंपोनेंट्स की शिफ्टिंग

कंपोनेंट्स की शिफ्टिंग का अभिप्राय है मरम्मत कार्य के लिए कंपोनेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यह निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में हो सकता है:

- **बैंक परिसर के अंदर :** वेंडर को आईटी कक्ष के पदाधिकारियों की आवश्यकता और निदेश के अनुसार, कार्यालय के भीतर अथवा बैंक परिसर में विभागों / भवनों के भीतर कंप्यूटर हार्डवेयर की शिफ्टिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- **बैंक से वेंडर के स्थान तक और वहाँ से वापस :** वेंडर को घटक की मरम्मत / बदलने इत्यादि के लिए बैंक से वेंडर के स्थान तक और वहाँ से वापस शिफ्ट करने की व्यवस्था करनी होगी।
- **बैंक से उच्च कार्यपालक के निवास स्थान तक और वहाँ से वापस :** वेंडर अनुबंध-IB में किए गए उल्लेख के अनुसार किसी भी परिसर में अथवा इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर बैंक के हित / गतिविधि वाले किसी अन्य स्थान पर आईटी हार्डवेयर / सहायक उपकरणों को शिफ्ट / लगाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

वेंडर द्वारा तीन रेजिडेंट इंजीनियरों के अतिरिक्त एक सहायक / मददगार ऊपर उल्लिखित शिफ्टिंग कार्य के लिए प्रदान किए जाएंगे।

2.5 निविदा दस्तावेज में संशोधन

निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व, बैंक किसी भी समय, आरबीआई की वेबसाइट (<https://www.rbi.org.in>)/ई-पोर्टल पर संशोधन /शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है।

जारी किया गया कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का हिस्सा होगा।

संभावित निविदाकारों को यथोचित समय देने के लिए बैंक अपने विवेकानुसार निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है ताकि वे अपनी बोलियों को तैयार करने में किसी / सभी संशोधनों / शुद्धिपत्र को शामिल कर सकें।

2.6 निविदा प्रक्रिया की लागत

निविदाकर्ता अपने निविदा को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने से संबंधित सभी प्रकार की लागत का वहन स्वयं करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही निविदा प्रक्रिया का स्थिति अथवा परिणाम कुछ भी हो।

2.7 निष्पादन प्रतिभूति

सफल निविदाकर्ता कार्य आदेश आबंटित होने से एक महीने के भीतर अनुबंध XI के अनुसार संविदा मूल्य के 10% राशि की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) संविदा के साथ प्रस्तुत करेगा। पीबीजी संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगा। ऐसे निविदाकार की ईएमडी पीबीजी प्राप्त होने पर वापस कर दी जाएगी।

यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा समय पर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं तो ये आबंटन रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार होंगे। ऐसी स्थिति में ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और ऐसे निविदाकर्ता को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

सफलतापूर्वक संविदा पूरी करने पर संतुष्ट होने के बाद ही पीबीजी संविदा अवधि की समाप्ति के दो (02) माह के बाद बिना ब्याज के वापस की जाएगी और एजेंसी अथवा उसके कर्मचारियों की कोई देयता नहीं होगी। किसी प्रकार की शिकायत अथवा लंबित बकाया के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी सभी बकाया राशियों, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही वापस की जाएगी।

II. पात्रता मानदंड

पात्रता की शर्तें

1. वेंडर को कंपनी अधिनियम अथवा पंजीकृत साझीदार फर्म या सीमित देयता साझीदार अधिनियम 2008 द्वारा शासित एलएलपी के अंतर्गत एक पंजीकृत भारतीय कंपनी/सीमित कंपनी होना चाहिए।
2. वेंडर को कम से कम पिछले 5 वर्षों से कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अथवा अन्य सहायक उपकरणों की रखरखाव के व्यवसाय में होना चाहिए और उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान एक या एक से अधिक ऐसे कार्य किए हों जिनका मूल्य 15 लाख या उससे अधिक हो। इसके विवरण कार्य आदेश की प्रतियों के साथ अनुलग्नक-III में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
3. वेंडर ने पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कम से कम एक वित्तीय संस्था/ बैंक/ सरकारी क्षेत्र/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए सर्वर/ पीसी/ लैपटॉप/ प्रिंटर इत्यादि की एएमसी प्रदान की हो।
4. पिछले तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष में शुद्ध लाभ सहित न्यूनतम एक करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार के समर्थन में 2017-18 और 2018-19 के लेखापरीक्षित अथवा प्रमाणित विवरण और 2019-20 के लेखापरीक्षित अथवा (गैर-लेखापरीक्षित) या प्रमाणित लेखा विवरण।
5. वेंडर के पास प्रयोज्य करों (पैन, टिन, जीएसटी आदि) के संबंध में पंजीकरण होना चाहिए।
6. वेंडर का कानपुर में एक पंजीकृत कार्यालय और एक संपूर्ण सेवा सेटअप होना चाहिए। निविदाकार का कानपुर में रिपेयर सेंटर होना चाहिए जहां पर्याप्त संख्या में तकनीकी स्टाफ और मरम्मत कार्य के लिए उपकरण हों। निविदाकार की भाग-II बोली खोलने से पहले निविदाकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने और रिपेयर सेंटर का निरीक्षण करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
7. निविदाकार के पास कानपुर में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञता के साथ तकनीकी स्टाफ होने चाहिए और आईटी असेट्स (अनुबंध II) के उक्त रखरखाव के संबंध में काम करना का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

8. वेंडर को किसी सरकार, विनियामक प्राधिकरण, वित्तीय संस्था आदि द्वारा प्रतिबंधित/ डीलिस्ट न किया गया हो। साथ ही, वेंडर के विरुद्ध कोई शोधन-अक्षमता का मामला नहीं होना चाहिए।

9. वेंडर के पास **ओईएम प्रमाणीकरण या प्राधिकार या सेवा प्रदाता प्रमाणपत्र (मूल उपस्कर विनिर्माता)** होना चाहिए।

10. टेक्नो कमर्शियल बिड (भाग I) में उपरोक्त 9 बिंदुओं में से प्रत्येक के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य शामिल होंगे। उपरोक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फर्म की वित्तीय/मूल्य बोली (भाग II) पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. कंपनी को अनुबंध XI में दिए गए कवरिंग पत्र सहित संबंधित पात्रता मानदंड की एक प्रति अपलोड करनी है।

III. नियम और शर्तें

1. तकनीकी बोली (भाग-I) के अनुसार अर्ह वेंडर दिनांक 01 जुलाई 2020 से तीन वर्षों के लिए पैनल में शामिल किए जाएंगे।
2. पैनल तैयार होने के बाद, भाग II के रूप में पैनलबद्ध वेंडरों द्वारा प्रस्तुत (भाग-I के साथ) वित्तीय/ वाणिज्यिक बोली का विश्लेषण किया जाएगा और निम्नतम मूल्य बोली प्रस्तुत करने वाले को 01 जुलाई 2020 से एक वर्ष के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा का कार्य प्रदान किया जाएगा। तथापि, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद होने वाली वार्षिक समीक्षा में वेंडर द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संतोषप्रद पाये जाने के आधार पर संविदा को और दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि वेंडर द्वारा प्रदत्त सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी जाती हैं तो बैंक उचित सूचना देकर एएमसी संविदा को समाप्त कर दिया जाएगा और बैंक एएमसी के लिए सभी पैनलबद्ध वेंडरों से नये वित्तीय कोटेशन मंगा सकता है।
3. वेंडर द्वारा रखरखाव संबंधी सेवाएं भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर और कानपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थित रिज़र्व बैंक आवासीय कॉलोनियों (अनुबंध IB) में प्रदान की जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर और अधिक साइटें जोड़ने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है। इसकी सूचना वेंडर को लिखित में दी जाएगी।
4. एएमसी की कवरेज का दायरा अनुबंध- VIII में दी गई सभी मदों हेतु कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों के लिए है। अनुबंध-क में सूचीबद्ध सॉफ्टवेयर के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जानी है। एएमसी अलग-अलग भाग में नहीं किया जाएगा।
5. वेंडर व्यापक रखरखाव सेवाएं प्रदान करेगा जिसमें एएमसी के अंतर्गत शामिल सभी परिसंपत्तियों के लिए निरोधक और सुधारात्मक रखरखाव दोनों शामिल होंगे।
6. सुधारात्मक रखरखाव के अंतर्गत, वेंडर उपस्कर में होने वाली किसी खराबी, दोष या उपस्कर के बंद हो जाने की स्थिति में उसे ठीक करेगा तथा उपस्कर के घिसे हुए या खराब पार्ट्स की मरम्मत करेगा या बदलेगा, जिसके लिए बैंक को कोई लागत नहीं देनी पड़ेगी। उपभोग्य सामग्रियों और प्लास्टिक के केसिंग और कवर जैसे गैर-कार्यात्मक

हिस्सों को छोड़कर, उपस्कर के सभी घटकों को इस करार के तहत शामिल किया जाएगा।

7. वेंडर सभी ब्रॉन्डों के और सभी प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर और संबंधित सहायक उपकरणों की एएमसी पर कार्य करने में सक्षम हो। वेंडर अपने पास उपलब्ध ऐसे योग्यता-प्राप्त इंजीनियरों की सूची प्रस्तुत करेगा, जो एससीओ-यूनिक्स/ विंडो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडो 10 और उससे ऊपर) औरैकल और नेटवर्किंग (सिस्को प्रमाणित) आदि प्लैटफॉर्म को संस्थापित/ पुनःसंस्थापित कर सके अथवा उन पर कार्य कर सके। प्रमाणित इंजीनियर्स का विवरण तकनीकी बोली के साथ अनुबंध-॥ में दिए गए अनुसार प्रदान किया जाए। इंजीनियर्स के परिचय संबंधी ब्योरे का सत्यापन किया जाएगा और संबंधित वेंडर की वित्तीय/ वाणिज्यिक बोली को न्यूनतम अर्हता पूरा करने पर ही खोला जाएगा। वेंडर कॉल प्राप्त होने के तुरंत बाद हार्डवेयर आदि का मरम्मत करने में समर्थ हो, ऐसा न होने पर उन्हें बैंक की कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करनी होगी।
8. वेंडर बैंक परिसर में तीन योग्य रेजीडेंट इंजीनियरों को तैनात करेगा जिनमें एक टीम नेतृत्वकर्ता भी शामिल होगा। इन तीन रेजीडेंट इंजीनियरों में टीम नेतृत्वकर्ता कंप्यूटर साइन्स/ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन में बी.टेक. होने के साथ तीन वर्ष का अनुभव रखता हो अथवा एम.एससी. (आईटी) होने के साथ प्रतिष्ठित आईटी कंपनियों में 6 वर्ष का अनुभव रखता हो। अन्य रेजीडेंट इंजीनियरों को कंप्यूटर हार्डवेयर/ एप्लिकेशन/ नेटवर्किंग में डिग्री/ डिप्लोमा धारक होना चाहिए और उनके पास संबंधित क्षेत्र में पाँच साल का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। प्रमाणित इंजीनियर्स के विवरण तकनीकी बोली के साथ अनुबंध-॥ में दिए गए अनुसार प्रस्तुत किया जाए। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और इंजीनियर्स के फोटोग्राफ के साथ बाँयो-डेटा निविदा प्रदान किये जाते समय आईटी कक्ष में जमा किया जाना है। वेंडर से यह भी अपेक्षित है कि वह ऐसे बैंक-अप कर्मियों को प्रशिक्षण दे जिन्हें नियमित रेजीडेंट इंजीनियर्स की अनुपस्थिति में हमारी साइट पर तैनात किए जाने की संभावना हो। तैनात किए गए इंजीनियर्स कंपनी/फर्म की नियमित पे-रोल पर होने चाहिए।
9. जब भी आवश्यकता होगी, कंपनी एएमसी के अंतर्गत कवर किए गए उपकरण में ऑपरेटिंग सिस्टम और/या कोई अन्य विशेष सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा भी मामला हो,

को लोड/रिलोड और कन्फिगर करने का कार्य बैंक से कोई अतिरिक्त लागत लिए बिना करेगी।

10. उपर्युक्त के अतिरिक्त, वेंडर को उन सिस्टम के लिए लेबल 1 का सपोर्ट देना आवश्यक है जो वारंटी के तहत हैं। लेबल 1 सपोर्ट के दायरे में प्रयोक्ता की कॉल को रिसीव करना और अटेंड करना और समस्या की पहचान करना शामिल है। हार्डवेयर अथवा ओईएम संस्थापित ओएस के साथ समस्याओं को संबंधित वेंडर के साथ लॉग किया जाना है। यह सुनिश्चित करने का दायित्व एएमसी वेंडर की है कि कॉल्स को बंद कर दिया गया है।
11. एएमसी में शामिल हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आने वाली समस्या तथा कंप्यूटर सिस्टम आदि पर विभिन्न एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस करने में किसी समस्या के समाधान हेतु वेंडर आवश्यक तकनीकी सहायता और परामर्श देगा।
12. आईटी कक्ष के अधिकारियों के निदेश पर, वेंडर किसी अतिरिक्त लागत के बिना एएमसी में शामिल उपकरणों में कंफिगरेशन संबंधी परिवर्तन करने के लिए आउटलुक को कन्फिगर/ विभिन्न एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और किसी अन्य एप्लिकेशन को इंस्टाल करेगा।
13. वेंडर सर्वर के लिए कम-से-कम 99.5% अपटाइम, पीसी के लिए 95% तथा सहायक उपकरणों के लिए 90% अपटाइम सुनिश्चित करेगा।
14. सप्ताह के दिनों तथा कार्यदिवस वाले शनिवार को कार्यसमय पूर्वाह्न 9.00 से अपराह्न 6.00 तक होगा। विचलता-भरे कार्य-घंटों के दौरान एक इंजीनियर उपलब्ध रहेगा। तथापि, बैंक की लेखा-बहियों की वार्षिक लेखाबंदी जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में परिस्थिति के अनुसार कार्यसमय में परिवर्तन हो सकता है। रेजिडेंट इंजीनियर कार्यालय समय में कार्यघंटों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष में रिपोर्ट करेंगे। संबंधित वेंडर द्वारा रेजिडेंट इंजीनियरों को बेसिक मोबाइल फोन (कैमरा और इंटरनेट के बिना) उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी दिन रेजिडेंट इंजीनियर सहमत संख्या में नियोजित नहीं किए जाते हैं तो रु. 500 (सभी करों सहित) का अर्थदंड प्रति इंजीनियर प्रति दिन की दर से वेंडर के बिल से कटौती की जाएगी।
15. रेजिडेंट इंजीनियरों से अपेक्षित है कि वे जब भी बैंक के किसी परिसर में हो तो बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र प्रदर्शित करें और कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र को साथ में

रखें। हमारे साइट पर तैनात इंजीनियरों की स्वतंत्र बैकग्राउंड जांच करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

16. रेजीडेंट इंजीनियर्स को उनके नियोजन से पहले बैंक की मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यदि रिज़र्व बैंक वेंडर द्वारा दिए गए रेजीडेंट इंजीनियर्स से संतुष्ट नहीं है तो भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होगा कि वह इंजीनियर्स बदलने के लिए कह सकता है। इसका अनुपालन न होने की दशा में, वेंडर पर उचित अर्थदंड लगाया जाएगा।

17. वेंडर कॉल को ट्रैक करने के लिए कॉल लॉगिंग प्रबंधन प्रणाली का ऑनलाइन उपयोग करेगा और प्रॉसेस में तेजी लाएगा। सभी रेजीडेंट इंजीनियर्स ऑनलाइन कॉल लॉगिंग एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सुविधा प्रबंधन के साथ समन्वय करेंगे।

18. रेजीडेंट इंजीनियर को निम्नलिखित का रखरखाव करना होगा:

a) सूची रजिस्टर -

रखरखाव के अंतर्गत और निर्माताओं की वारंटी के अधीन बैंक में सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विवरण।

b) शिकायतों की दैनिक स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) -

टीम समस्त प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान की स्थिति के संबंध में आईटी कक्ष के अधिकारियों को दिन की समाप्ति पर डीएसआर प्रस्तुत करेगी।

19. सुरक्षात्मक रखरखाव कार्य किए जाएंगे जिसमें उपस्कर की साफ-सफाई करना, पैचेस/ सर्विस पैक्स का अपडेशन, सिस्टम डायग्नोस्टिक टेस्ट करना और सुधारात्मक कार्रवाई आदि शामिल है। एएमसी अवधि के दौरान सभी कंप्यूटर के संबंधित सहायक उपकरण के लिए वेंडर प्रत्येक तिमाही के लिए कम से कम एक सुरक्षात्मक रखरखाव अनुसूची देगा। निवारक रखरखाव के दायरे में एचडीडी, आरएआईडी/ ग्राफिक कंट्रोलर्स, पॉवर सप्लाइ (एसएमजीएस) की कार्यक्षमता की जांच, उचित सफाई यौगिकों और निगरानी उपकरणों की सहायता से मेमोरी मॉड्यूल आदि का सफाई-कार्य, एंटीवायरस की जांच, ओएस पैच की स्थिति, सुरक्षा संबंधी कमियाँ आदि का पता लगाने के लिए पीसी पर एमबीएसए (माइक्रोसॉफ्ट वेसलाइन सिक्यूरिटी एनालाइज़र) टूल्स को रन करने जैसे हार्डवेयर से जुड़े पहलु शामिल हो सकते हैं।

20. वेंडर सभी उपकरणों की सूची तैयार करने, शिफ्टिंग और रिइंस्टालेशन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

21. एमसी के अंतर्गत कवर किए गए सभी उपकरणों के लिए एक हेल्थ कार्ड रखा जाएगा। उसमें वेंडर उपकरण के ठीक ढंग से काम न करने, डाउनटाइम शुरू होने की तारीख/समय और मरम्मत /अनुरक्षण कार्य का सफलतापूर्वक पूरा होने, किया गया मरम्मत कार्य और खराब होने का विवरण और उसके कारण को रिकार्ड करेगा। सुरक्षात्मक रखरखाव संबंधी गतिविधियों को भी उसमें रिकार्ड किया जाएगा।
22. यदि उपकरणों की त्रैमासिक निवारक रखरखाव अनुसूची का पालन नहीं किया गया तो बैंक के विवेकानुसार सहायक उपकरणों के लिए 100 / - रुपये का दंड, पीसी/ नोटबुक के लिए 300/- रुपये का दंड और सर्वर के लिए 1000/- रुपये का दंड लगाया जा सकता है।
23. वेंडर केवल बैंक के विभिन्न स्थानों पर ही पार्ट्स की मरम्मत करेगा या उन्हें बदलेगा। यदि खराबी गंभीर प्रकार की है और वेंडर के रिपेयर सेंटर की सहायता की आवश्यकता है जिससे उपस्कर की शिफ्टिंग आवश्यक हो जाती है तो कंपनी शिफ्टिंग/ परिवहन, संस्थापन, पुनःसंस्थापन, सॉफ्टवेयर पैकेजों (सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर दोनों, यदि कोई हो) की लोडिंग आदि का कार्य करेगा और इसके लिए बैंक को अतिरिक्त लागत नहीं लगेगी।
24. एमसी के अधीन किसी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डडिस्क के क्रैश हो जाने की स्थिति में डेटा की रिकवरी के लिए वेंडर जिम्मेदार होगा और इसके लिए उसे कोई शुल्क नहीं दी जाएगी।
25. वेंडर साइट पर पीसी, लैपटॉप, प्रिन्टर्स आदि के लिए स्पेयर पार्ट्स की एक सूची रखेगा जिससे कि किसी उपस्कर के ठीक से काम न करने की स्थिति में कारोबार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। एमसी में शामिल किए गए बैंक के प्रत्येक सर्वर का 99.5% अपटाइम, प्रत्येक पर्सनल कंप्यूटर का 95% अपटाइम और प्रत्येक संबंधित सहायक उपकरण का 90% अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक स्पेयर्स। यदि किसी भी तिमाही में वेंडर उपस्करों का अपटाइम बरकरार नहीं रख पाता है तो अगली तिमाही की शुरुआत में वेंडर को देय राशि में से आनुपातिक आधार पर रखरखाव प्रभार की कटौती की जाएगी।

26. उपस्करों के संबंध में 'डाउनटाइम' की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी :

- i. हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का 'अपटाइम' = रखरखाव वर्ष के लिए (कवरेज घंटे- डाउनटाइम)/ कवरेज घंटे X 100
- ii. कवरेज घंटे= प्रतिदिन अपटाइम कमीटमेंट x प्रतिवर्ष कमीटेड दिनों की संख्या
- iii. प्रतिदिन अपटाइम कमीटमेंट = प्रतिदिन हार्डवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर रखरखाव सहायता समय
- iv. डाउनटाइम की गणना वेंडर को बैंक द्वारा किए गए रखरखाव कॉल से लेकर समस्या के समाधान/ हार्डवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य चालू होने तक की जाएगी।
- v. प्रतिवर्ष कमीटेड दिनों की संख्या = वर्ष के दौरान बैंक के कार्यदिवसों की संख्या।

27. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि ठीक ढंग से काम न करने वाले हार्डवेयर, ऐक्सेसरीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर (यदि हो) को बैंक द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के दो घंटे के अंदर ठीक कराया जाए। यदि वेंडर इसे निर्धारित समय में ठीक नहीं करा पाता है तो कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वेंडर अपने खर्च पर आवश्यक हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा।

28. वेंडर बैंक के अनुमोदन के बिना किसी अन्य संस्था, व्यक्ति, कंपनी या इसके फ्रेंचाइसी को एएमसी का उप-ठेका नहीं देगा। यदि किसी समय बैंक को यह पता चलता है कि ऐसा उप-ठेका दिया गया है तो बैंक अपने विवेक से वेंडर को मामले की जानकारी दिए बिना संविदा को समाप्त कर सकता है। बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि इस संबंध में अपने द्वारा किए गए सभी व्यय की वसूली वेंडर को देय भुगतानों से समायोजित करके करे अथवा अन्य माध्यमों से करे।

29. बैंक रखरखाव शुल्क का भुगतान त्रैमासिक अंतराल पर तिमाही के पूरा होने के बाद और सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर से संतोषप्रद कार्य-निष्पादन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद और साथ ही तिमाही के लिए बैंक के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निवारक रखरखाव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत होने पर करेगा। वेंडर असिस्टेंट/ हेल्पर सहित सभी रेजीडेंट इंजीनियर की वेतन पर्ची और विधिवत सत्यापित खाता विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिसमें ईएसआई एवं ईपीएफ की

मासिक कटौती शामिल हो। वेंडर इसका समय पर पालन सुनिश्चित करे (आगामी माह के पंद्रह दिनों के भीतर)। इसमें चूक होने की दशा में, वेंडर के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

30. उद्धृत दर में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत देय ईएसआई, ईपीएफ, बोनस अथवा कोई अन्य क्षतिपूर्ति इत्यादि के लिए देय राशि शामिल होगी। एजेंसी अथवा संविदाकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु विभिन्न पंजीकरण/ कोड नं. प्राप्त करें और करार निष्पादन से पहले उन्हें बैंक को प्रस्तुत करें। एजेंसी अथवा संविदाकर्ता को इसे पूरा करना ही है। एजेंसी अथवा संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने द्वारा लगाए गए कार्मिकों/ संविदा श्रमिकों के संबंध में लागू कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का भुगतान करें और बैंक को इनके भुगतान (अर्थात, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने पर प्राप्त भुगतान रसीद) के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर, बैंक ऐसी राशि को सीधे जमा करेगा और करार के नियमों और शर्तों के अनुसार एजेंसी अथवा ठेकेदार को देय राशि में से यह राशि और दंड स्वरूप लगाई राशि की कटौती/ समायोजित करेगा। उद्धृत दरों से अधिक कोई अतिरिक्त भुगतान इस कारण से एजेंसी अथवा संविदाकर्ता को नहीं किया जाएगा। एजेंसी अथवा संविदाकर्ता ईएसआई और ईपीएफ के उद्देश्य सहित सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे और बैंक को क्षतिपूर्ति देंगे और ईपीएफ और ईएसआई सहित श्रम कानूनों के किसी भी उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए क्षतिपूर्ति करते रखेंगे।
31. सेवा संविदा के नियम और शर्तों एवं दायित्वों को समुचित रूप से पूरा करने की प्रतिभूति के रूप में, वेंडर कार्य आदेश प्रदान किये जाने के एक माह के भीतर संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात 60 दिनों की अवधि के लिए वैध एएमसी की कीमत का 10% निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।
32. वेंडर बैंक में तैनात अपने कर्मकारों/ रेजिडेंट इंजीनियर्स के लिए बीमा करवाएगा। यदि कर्मकार/ इंजीनियर्स को बैंक परिसर में कार्य करते समय उनके जीवन अथवा व्यक्ति अथवा संपत्ति को कोई नुकसान अथवा क्षति पहुंचती है तो कर्मकार/ इंजीनियर्स अथवा उनके कानूनन वारिस बैंक से किसी बीमा लाभ का दावा नहीं करेंगे।
33. वेंडर अथवा बैंक युद्ध, क्रांति, विद्रोह, नागरिक बलवा, दंगे, आंदोलन, हमले, नाकाबंदी, दैवी घटना या प्लेग या अन्य महामारी, आग, बाढ़, सरकार अथवा जन शत्रु के किसी कार्य अथवा ऐसा कुछ भी जो दोनों पक्षों में से किसी के भी नियंत्रण के बाहर हो, जिससे

किसी अथवा सभी संविदा संबंधी दायित्वों का निर्वाह प्रत्यक्षतः, वस्तुतः और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, के कारण किसी अथवा सभी संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विलम्ब अथवा उनका निर्वाह न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यदि फोर्स मैज्युरे की स्थिति (नियंत्रण से बाहर की स्थिति) उत्पन्न होती है तो बोलीकर्ता इस प्रकार की स्थितियों और उसके कारण होने वाले परिवर्तनों के बारे में बैंक को लिखित में तुरन्त अधिसूचित करेगा। जब तक क्रेता द्वारा लिखित में अन्यथा निदेशित नहीं किया जाता तब तक बोलीकर्ता यथासंभव संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता रहेगा, और फोर्स मैज्युरे की स्थिति (नियंत्रण से बाहर की स्थिति) से प्रभावित न होने वाले अन्य सभी दायित्वों को पूरा करने में सभी प्रयास करेगा।

34. वेंडर को केंद्र सरकार के मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में उल्लिखित सभी श्रम नियमों और विनियमों का पालन करना होगा और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान जो कुल दिनों और/ अथवा कार्य के घंटों, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, पर आधारित होना चाहिए। टीम नेतृत्वकर्ता सहित सभी तीन इंजीनियर को कौशल-प्राप्त माना जाएगा जबकि हेल्पर को अकुशल माना जाएगा।

35. कानूनों अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; नियोजक-दायित्व अधिनियम, 1938; ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, 1952; इन सभी अधिनियमों के अंतर्गत समय-समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन पूर्णतया एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में, एजेंसी बैंक को समस्त दावों के संबंध में प्रतिपूरित रखेगा और कानून के तहत और सरकार के नियमों के अनुसार आवश्यक बहियों, लॉग, रजिस्टर, सत्यापन, विवरणियां, प्राप्तियाँ, कंप्यूटरीकृत डेटाबेस आदि का आवश्यक रखरखाव करेगा और उन्हें आवश्यक होने पर सरकार के संबंधित अधिकारी/ श्रम प्रवर्तन अधिकारी/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष निरीक्षण/ सत्यापन हेतु उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार के अनुपालन, विवरण और सांविधिक प्राधिकरणों को किए गए भुगतान की प्रति, आदि पंजीकरण संख्या सहित जब भी मांगा जाता है उसे सत्यापन और अभिलेख हेतु बैंक के प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

36. ठेकेदार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी कोई भी सूचना, सामग्री और बैंक की आधारभूत संरचना/प्रणाली/उपकरण आदि का विवरण जो इस करार से जुड़े अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उसके कब्जे या संज्ञान में आई हों, किसी अन्य पक्ष को प्रकटीकृत नहीं करेगा और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार करार के विवरण उस सीमा तक निजी और गोपनीय रखेगा जब तक कि इसके तहत दायित्वों का निर्वहन करने अथवा प्रयोज्य कानूनों के पालन हेतु अन्यथा अपेक्षित न हो। ठेकेदार नियोक्ता की लिखित पूर्वानुमति के बिना कार्य के किसी भी विवरण को किसी व्यावसायिक या तकनीकी पत्र अथवा अन्यत्र न तो प्रकाशित करेगा, न ही प्रकाशन की अनुमति देगा अथवा उसका खुलासा ही करेगा। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के कारण नियोक्ता को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार के स्तर से करार का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को हक होगा कि वह हुए नुकसान का दावा करे और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के मामले में वे सभी कदम उठाएगा जिससे कि इस करार के अधीन सभी गोपनीय सूचनाओं के गैर-प्रकटीकरण की शर्त का अनुपालन हो। ठेकेदार की गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी बाध्यता इस करार की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण, चाहे जिस किसी भी कारण से हो, तक बरकरार रहेगी। पैनलबद्ध वेंडर को बैंक की आईएस नीति का पालन करना होगा।

37. वेंडर यह प्रमाणित करेगा कि मरम्मत और बिक्री की गई रखरखाव सेवाएं/उत्पाद किसी **पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सिक्रेट** या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के **अन्य संपदा अधिकार** का उल्लंघन या अतिलंघन नहीं करते हैं। वेंडर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस वारंटी के किसी तरह से भंग होने या भंग होने का आरोप लगाने के कारण किसी दावा या मांग, कार्रवाई या कार्यवाही के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

38. यदि यह पाया गया हो कि वेंडर की किसी भूल-चूक के कारण, एएमसी के अंतर्गत शामिल किए गए उपकरण को या बैंक की किसी संपत्ति को, चाहे वह एएमसी के अंतर्गत शामिल न हो, को कोई क्षति पहुंची हो तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह वेंडर से हुई गलती या चूक के कारण हुई क्षति की सीमा तक के लिए वेंडर से क्षतिपूर्ति का दावा करे।

39. यदि वेंडर इस करार के अनुसार अपने दायित्वों/ कर्तव्यों में से किसी एक को पूरा करने में विफल होता है तो बैंक को संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा और वेंडर किसी क्षतिपूर्ति/ भरपाई के लिए दावा नहीं कर सकता और नुकसान के लिए वेंडर जिम्मेदार होगा।
40. रखरखाव ठेकेदार सभी करों, शुल्कों और उगाही, यदि कोई भुगतान किए जाने के लिए हो, भुगतान करेगा। पूर्वगामी पैरा में दर्शाए गए प्रतिफल में सभी कर शामिल होंगे।
41. बैंक संविदा की चालू अवधि के दौरान किसी भी कारण से एएमसी की दरों में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
42. करार से जुड़े या उससे उत्पन्न सभी कानूनी वाद, कार्रवाइयां या कार्यवाहियां केवल कानपुर स्थित अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगी। यदि इस संविदा के संबंध में शर्तों के बारे में या इससे उत्पन्न किसी भी वाद के बारे में दोनों पक्षों के बीच कोई वाद पैदा होता हो तो, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से उसे हल करने का प्रयास करना होगा। यदि आपसी सहमति से एक भी मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जा सकता तो, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जो अपनी ओर से अंपायर जोड़ देगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया गया निर्णय इस तरह के विवाद या विवादों के संबंध में अंतिम होगा।
43. सफल निविदाकार/ एजेंसी “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन हेतु पूरी तरह से जिम्मेदार होगा/होगी। यदि उसके कर्मचारी के विरुद्ध बैंक परिसर में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है तो ऐसी शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास दर्ज करायी जायेगी और निविदाकार/ एजेंसी यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि शिकायत के मामले में उक्त अधिनियम के तहत यथोचित कार्रवाई की जाए। सफल निविदाकार इस प्रयोजन के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित करेगा, जहां भी प्रयोज्य हो। सफल निविदाकार के किसी पीड़ित कर्मचारी/व्यक्ति से यदि बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। यदि सफल निविदाकार के किसी कर्मचारी/व्यक्ति द्वारा घटना को अंजाम दिया

जाता है तो किसी भी तरह की मौद्रिक क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। उदाहरण के लिए यदि सफल निविदाकार के किसी कर्मचारी/व्यक्ति द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न सिद्ध हो जाता है तो बैंक के कर्मचारी को देय किसी भी तरह की मौद्रिक राहत। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित मामलों की रोकथाम के संबंध में अपने कर्मचारियों/व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सफल निविदाकार बैंक के विभिन्न कार्यों में नियोजित अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन की गई सूची तिमाही आधार पर (प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से अथवा नियोजित किये जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर) प्रदान करेगा।

44. यदि निविदाकार के किसी कर्मचारी/व्यक्ति द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न सिद्ध हो जाता है तो बैंक के कर्मचारी को देय किसी भी तरह की मौद्रिक राहत की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित मामलों की रोकथाम के संबंध में अपने कर्मचारियों/व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

45. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित मामलों की रोकथाम के संबंध में अपने कर्मचारियों/ व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

46. **ईमानदारी समझौता** - नियोक्ता की तरफ से यह वादा किया जाता है कि वह ऐसा कोई लाभ नहीं माँगेगा अथवा स्वीकार करेगा जो कानूनी रूप से उपलब्ध न हो। नियोक्ता सभी बोलीकर्ताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। बोलीकर्ताओं की तरफ से वादा किया जाता है कि वे अन्य बोलीकर्ताओं को किसी लाभ का प्रस्ताव नहीं देंगे अथवा अन्य बोलीकर्ताओं के साथ कीमतों, विनिदेशों, प्रमाणीकरण, अनुषंगी निविदाओं इत्यादि के संबंध में कोई मिलीभगत नहीं करेंगे। नियोक्ता द्वारा व्यावसायिक संबंध के तहत उपलब्ध करायी गयी कोई जानकारी बोलीकर्ता दूसरों को नहीं देंगे और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/ भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत परिभाषित कोई अपराध नहीं करेंगे। बोलीकर्ताओं द्वारा अभिकर्ताओं/ दलालों या किसी अन्य बिचौलिए को किए जाने वाले भुगतान प्रकट किए जाएंगे। बोलीकर्ता किसी अन्य कम्पनी के साथ किया गया कोई अनुचित व्यवहार जिससे भ्रष्टाचार विरोधी सिद्धांत को ठेस पहुँच सकती हो, उसे प्रकट करेंगे।

IV. बोली प्रस्तुत करना

1. दिनांक 23 अप्रैल 2020 को 11:00 बजे तक तकनीकी और वित्तीय/ वाणिज्यिक बोलियां www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर अलग-अलग प्रस्तुत करनी होंगी। तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां निविदा अनुसूची में दी गई समय-सारणी के अनुसार खोली जाएंगी। वेंडर द्वारा तकनीकी बोली सहित सभी अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर अपलोड करनी होंगी, ऐसा न करने पर बोलीकर्ताओं को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
2. तकनीकी और वित्तीय/ वाणिज्यिक बोलियों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए और कंपनी की मुहर लगी होनी चाहिए।
3. अपूर्ण बोलियां अथवा नियत तारीख के बाद जमा की गई बोलियों को अस्वीकार माना जाएगा।
4. भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम अथवा किसी कोटेशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पास किसी भी अथवा सभी कोटेशन, पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को कारण का उल्लेख किए बिना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. वेंडर को रु. 30,000/- की बयाना जमा राशि एनईएफटी के जरिए खाता सं 186003001, आईएफएससी कोड RBIS0KNPA01 में 22 अप्रैल, 2020 को 16:00 बजे या उससे पहले जमा करानी होगी (कृपया अनुबंध IX के यूटीआर लेन-देन विवरण का उल्लेख करें) जो निम्नलिखित स्थिति में वापस कर दी जाएगी (i) एल 1 के अलावा अन्य वेंडरों के लिए वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन पूरा होने पर अथवा (ii) एएमसी की शुरुआत और एल 1 वेंडर के मामले में 10% निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने पर। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ईएमडी के बिना जमा की गई बोलियों को खारिज कर दिया जाएगा। तथापि, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में यथा परिभाषित) को ईएमडी राशि जमा करने से छूट-प्राप्त है। सूक्ष्म और लघु उद्यम के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली पात्र फर्मों के लिए आवश्यक है कि वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
6. तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:- (वेंडर को तकनीकी बोली सहित इस ई-निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गई

प्रतिलिपि www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर अपलोड करनी होंगी, ऐसा न करने पर बोलीकर्ताओं को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

1	कंपनी प्रोफाइल	अनुबंध-I
2	कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित सत्यापित इंजीनियरों का विवरण (माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को प्रमाणन) और कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित प्रस्तावित रेजिडेंट इंजीनियरों का विवरण	अनुबंध- II
3	पिछले 5 वर्षों के प्रमुख ग्राहकों और संदर्भों की सूची (सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों सहित)	अनुबंध - III
4	ग्राहकों द्वारा संतुष्टप्रद सेवा का प्रमाण पत्र	अनुबंध- IV
5	वचन-पत्र/ क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र	अनुबंध- V
6	किसी अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र (सॉलवेन्सी सर्टिफिकेट)	अनुबंध - VI
7	अनुपालन के लिए मैट्रिक्स	अनुबंध- VII
8	वार्षिक रखरखाव करार के तहत शामिल उपकरणों की संख्या	अनुबंध- VIII
9	ईएमडी के लिए रु.30,000 / - (बीस हजार रुपये मात्र) का एनईएफटी (यूटीआर लेन-देन विवरण)	अनुबंध- IX

- बोलियां हमारी शर्तों और जरूरतों के अनुरूप होंगी। यदि कोई विचलन हो, उसे वेंडर द्वारा तकनीकी बोली में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। विचलन का उल्लेख न किए जाने पर हमारी शर्तों और अपेक्षाओं को स्वीकार कर लिया है। किसी भी विचलन के लिए प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
- वेंडर द्वारा निर्धारित स्पष्टीकरण / शर्तों, यदि कोई हो, की जांच की जाएगी और वेंडर के साथ चर्चा की जाएगी और ऐसी शर्तें जो बैंक को स्वीकार हैं अथवा अस्वीकार हैं, उन्हें वेंडर को बता दिया जाएगा। वाणिज्यिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु केवल तकनीकी रूप से पात्र पाए गए वेंडरों की वाणिज्यिक बोलियों को खोला जाएगा।

9. **अनुबंध-X** में दिए गए ब्योरे के अनुसार वित्तीय/ वाणिज्यिक बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर प्रस्तुत की जानी है।
10. वित्तीय/ वाणिज्यिक बोली में किसी नियम और शर्त का उल्लेख नहीं करना है, इसमें केवल ऑफर मूल्य/ दर का उल्लेख करना है। उपरोक्त से विचलन की स्थिति में उल्लेख किए गए किसी नियम और शर्त को बैंक द्वारा अनदेखा कर दिया जाएगा।
11. वित्तीय/ वाणिज्यिक बोली की वैधता निविदा बंद करने की तारीख से कम से कम 3 महीने के लिए होनी चाहिए। **प्रस्ताव की वैधता के बारे में तकनीकी बोली में उल्लेख किया जाना चाहिए।**
12. जहां अंकों और शब्दों में दी गई राशि में विसंगति पाई जाती है, वहां शब्दों में दी गई राशि को माना जाएगा।

V) बोलियों का मूल्यांकन

a) तकनीकी बोलियों को सर्वप्रथम खोला जाएगा और उनका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि योग्यता-पूर्व और अर्हता मानदंड के संबंध में प्रतिक्रिया और संपूर्णता निर्धारित की जा सके। इस स्तर पर तकनीकी बोली में कोई भिन्नता की स्थिति होने पर किसी प्रकार के स्पष्टीकरण/ संशोधन लिखित में पत्र/ ई-मेल के माध्यम से मंगवाया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त को प्रस्तुत करने में विफल होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

b) वेंडर को अपने प्रस्ताव पर जब भी 3-4 दिनों की सूचना से तकनीकी समिति के समक्ष कोई संक्षिप्त प्रस्तुति देने के लिए कहा जाए तो उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे अपेक्षित है कि वे इस प्रस्तुति के दौरान तकनीकी समिति के सभी प्रश्नों का उत्तर दें। यह प्रस्तुति तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया का भाग होगी।

c) बोलियों/ प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी समिति निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखेंगे:

- i. वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) प्रस्ताव की संपूर्णता
- ii. वित्तीय स्थिति और समान प्रकार के प्रोजेक्ट के साथ अनुभव
- iii. तकनीकी स्टाफ की संख्या और प्रोफाइल और कार्यान्वयन योजना

d) ऊपर उल्लिखित सूची सांकेतिक मात्र है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से इस सूची में जोड़/ घटाव कर सकता है। बैंक निविदाकार के ग्राहकों से उसके पूर्व के कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट मंगवा सकता है। बैंक निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सकता है। यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई निविदाकार किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अपेक्षित अर्हता नहीं रखता है और/ अथवा उसके ग्राहकों से प्राप्त उसकी निष्पादन/ सेवा रिपोर्टें संतोषप्रद नहीं पायी जाती हैं तो बैंक के पास निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी उसके ऑफर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक ऐसा करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन का कार्य पूरा होने के बाद, अर्ह वेंडरों को बैंक द्वारा 01 जुलाई 2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पैनलबद्ध किया जाएगा। पैनल बनाने के बाद, केवल पैनलबद्ध वेंडरों की वित्तीय बोलियों को ही वाणिज्यिक मूल्यांकन के प्रयोजन से खोला जाएगा। संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए (जिसे संतोषप्रद कार्य-निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के आधार पर और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है) उस बोलीकर्ता को प्रदान की जाएगी जिसकी बोली बैंक को कुल लागत में निम्नतम (प्रयोज्य करों सहित) पायी गयी हो। कार्य-निष्पादन के संतोषप्रद न होने की दशा में, बैंक आगामी वर्षों के लिए पैनलबद्ध वेंडरों की

सूची में से मूल्य बोलिया आमंत्रित कर सकता है। नियत दरों पर वार्षिक वेतनवृद्धि अनुबंध ए में दिए गए सूचकांक फार्मूला पर आधारित होगा।

अनुलग्नक

1. एएमसी की गणना के लिए सूचकांक सूत्र - अनुलग्नक A
2. बैंक की उन सम्पत्तियों की सूची जहाँ सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँगी - अनुलग्नक B
3. विक्रेता/ कम्पनी का प्रोफाइल - अनुलग्नक I
4. योग्य इंजीनियरों के विवरण और भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में पदस्थापित किए जाने वाले रेज़िडेंट इंजीनियर - अनुलग्नक II
5. पिछले तीन वर्षों में रहे बड़े ग्राहकों / मुवक्किलों की सूची और संदर्भ - अनुलग्नक III
6. ठेकेदार के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र - अनुलग्नक IV
7. क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र/ वचन पत्र / अनुलग्नक- V
8. किसी अनुसूचित बैंक के बैंकर प्रमाणपत्र का फॉर्म - अनुलग्नक VI
9. अनुपालन आव्यूह - अनुलग्नक VII
10. सूचना प्रौद्योगिकी आस्तियों की सूची - अनुलग्नक VIII
11. बयाना जमाराशि का यूटीआर लेनदेन विवरण अनुलग्नक IX
12. मूल्य बोली का प्रारूप - अनुलग्नक X
13. आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप - अनुलग्नक XI
14. सुरक्षा जमाराशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा - अनुलग्नक XII

एएमसी की गणना के लिए सूचकांक सूत्र :

परवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा की दरों की गणना सूचकांक के आधार पर की जाएगी। ऐसे सूचकांक के लिए प्रयुक्त सूत्र निम्नानुसार होगा :

वार्षिक रखरखाव संविदा प्रभार

$$A = B [15 + \{45 * (WPI_c / WPI_p)\} + \{40 * (CPI_c / CPI_p)\}] * 1/100$$

A = वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा प्रभार

B = पिछले वर्ष के लिए एएमसी

WPI_c = वर्तमान/ नये वर्ष के लिए संविदा प्रारम्भ होने की तारीख से छह माह पूर्व इलेक्ट्रिकल उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक;

WPI_p = पिछले वर्ष की समाप्ति तक के लिए संविदा प्रारम्भ होने की तारीख से छह माह पूर्व इलेक्ट्रिकल उत्पादों का थोक मूल्य सूचकांक;

CPI_c = वर्तमान/ नये वर्ष के लिए संविदा प्रारम्भ होने की तारीख से छह माह पूर्व शहरी/ मुम्बई शहर के औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;

CPI_p = पिछले वर्ष की समाप्ति तक के लिए संविदा प्रारम्भ होने की तारीख से छह माह पूर्व शहरी/ मुम्बई शहर के औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;

अनुलग्नक B

बैंक की उन सम्पत्तियों की सूची जहाँ सेवाएं उपलब्ध करायी जानी हैं

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर, 208 001
2. रिज़र्व बैंक अधिकारी आवास, सिविल लाइंस, कानपुर, 208 001
3. रिज़र्व बैंक अधिकारी आवास, तिलक नगर, कानपुर, 208 002
4. रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलोनी, किदवई नगर, कानपुर, 208 011

बैंक के पास उपर्युक्त सूची में कोई स्थान जोड़ने या उसमें से कोई स्थान हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

भाग । - तकनीकी बोली

तकनीकी बोली के लिए प्रपत्र
(कम्पनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

वेंडर/ कम्पनी का प्रोफाइल

(इस प्रपत्र में भरे गए विवरणों के साथ पर्याप्त दस्तावेज़ी साक्ष्य लगाए जाने चाहिए ताकि दी गई जानकारी का सत्यापन किया जा सके)

क्र.सं	मद	विवरण
1.	वेंडर का नाम	
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता*	पता टेलीफोन फैक्स ई-मेल
3.	कानपुर स्थित कार्यालय का पता*	पता टेलीफोन फैक्स ई-मेल
	*(दूसरी और तीसरी पंक्ति के विवरण वेंडर की वेबसाइट से सत्यापनीय होने चाहिए। समुचित लिंक दी जाए। यदि विवरणों का सत्यापन वेबसाइट से नहीं किया जा सकता तो उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	
4.	वेंडर की वेबसाइट का यूआरएल	
5.	a) संगठन का प्रकार (एकमात्र स्वामित्व /भागीदारी/ निजी लिमिटेड/ लिमिटेड या सहकारी निकाय आदि) b) स्थापना की तारीख c) (फर्म, कम्पनी इत्यादि के) पंजीकरण, पंजीकरण प्राधिकारी, तिथि, संख्या इत्यादि के विवरण	

	(एक मात्र स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)। कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज़ संलग्न करें।			
6.	संगठन के स्वामी/ पार्टनर/ निदेशकों के नाम और पदनाम			
7.	इस अनुरोध का जवाब देने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम			
8.	प्राधिकृत अधिकारी का सम्पर्क टेलीफोन, फ़ैक्स नम्बर और ई-मेल पता	मोबाइल फोन फ़ैक्स ई-मेल		
9.	संगठन में उपलब्ध तकनीकी कार्मिक (ब्योरे अनुलग्नक II में दिए जाएं।)			
10.	लागू कर पंजीकरण नम्बरों (पैन, टिन, जीएसटी इत्यादि) के विवरण। फोटोकॉपी अपेक्षित है।			
11.	वित्तीय विवरण	2017-18 (लेखापरीक्षित)	2018-19 (लेखापरीक्षित)	2019-20 (लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित)
	i शुद्ध लाभ			
	ii कारोबार			
12.	iii पिछले तीन वर्षों के तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा की प्रतियाँ संलग्न की जाएं			
13.	बैंकों के नाम और उनके पूरे पते के साथ उक्त कार्य करने के लिए संगठन की वित्तीय क्षमता का			

	<p>संकेत देने के लिए पर्याप्त और संतोषजनक साक्ष्य</p> <p>(बैंक से शोधन क्षमता प्रमाण पत्र और आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)</p>	
14.	<p>क्या वेंडर के पास ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी वैध लाइसेंस है? यदि हाँ तो प्रति संलग्न करें। यदि नहीं तो क्या वेंडर को इससे छूट दी गई है, और यदि ऐसा है तो उसका क्या कारण है?</p>	
15.	<p>क्या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय द्वारा कंपनी/फर्म/वेंडर को ब्लैक लिस्टेड किया गया है? यदि हां, तो विवरण दिए जाएं।</p>	
16.	<p>क्या किसी कानूनी क्षेत्राधिकार में किसी कारण से विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है?</p>	
17.	<p>क्या पिछले 03 वर्षों में किसी भी सरकार/ विनियामक प्राधिकरण/ वित्तीय संस्थान आदि द्वारा विक्रेता को प्रतिबंधित/ डी-लिस्ट किया गया है?</p>	
18.	<p>क्या वेंडर के विरुद्ध कोई दिवाला मामला लम्बित है?</p>	
19.	<p>क्या इस व्यवसाय के सिलसिले में दंडित किया गया/ दोषसिद्ध करार दिया गया है। यदि हाँ तो उसका विवरण दें।</p>	
20.	<p>समस्या समाधान के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स दें। मैट्रिक्स में वेंडर के प्रधान कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को शामिल करना</p>	

चाहिए। पदनाम, फोन नं., फैक्स नं. और एस्केलेशन मैट्रिक्स में उल्लिखित अधिकारियों का ई-मेल पता	
---	--

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

कानपुर में योग्य इंजीनियरों के विवरण

	कानपुर कार्यालय में योग्य इंजीनियरों की संख्या	अर्हताएं	किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति
हार्डवेयर			
सॉफ्टवेयर			

भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर में तैनात किए जाने वाले रेज़िडेंट इंजीनियरों के विवरण

क्र. सं	नाम	तकनीकी अर्हता	विशेषज्ञता का क्षेत्र	कम्प्यूटर रखरखाव का अनुभव (वर्षों में)	फर्म में कार्यग्रहण की तिथि	मोबाइल नम्बर
1						
2						
3						
4.						
5.						

*रेज़िडेंट इंजीनियरों का पूर्ण बायो डेटा अलग से संलग्न किया जाए।

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

पिछले 3 वर्षों में बड़े ग्राहकों/ मुवक्किलों की सूची और संदर्भ (जारी महत्वपूर्ण कार्यों सहित)

क्र. सं. S. No.	ग्राहक का नाम और पूरा डाक पता	ग्राहक का प्रकार - बैंक/ वित्तीय संस्था, सरकारी निकाय, प्रतिष्ठित निकाय	सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम, फोन, फैक्स, ई-मेल	पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए कार्य की प्रकृति	संविदा राशि	क्या कार्य अपूर्ण छोड़ा गया या किसी पक्ष द्वारा संविदा समाप्त की गई। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।	क्या संदर्भ पत्र संलग्न है
1	2	3	4	5	6	7	8

(कृपया आवश्यक दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करें)

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

ठेकेदार के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

ग्राहक का नाम और पता :

(फोन नं और ई-मेल आईडी)

श्री/ मैसर्स..... द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों के विवरण

1	मैसर्सद्वारा प्रदत्त एएमसी और एफएमएस सपोर्ट का विवरण	
2	संक्षिप्त विवरण सहित कार्य का नाम	
3	करार संख्या और दिनांक	
4	करार की राशि	
5	एएमसी शुरू होने की तिथि	
6	हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सहायक उपकरणों का निर्धारित अपटाइम	
7	हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सहायक उपकरणों का दर्ज अपटाइम	
8	निर्धारित अपटाइम को बरकरार न रखने के लिए लगाए गए शुल्क का विवरण, यदि कोई हो	
9	जिस प्राधिकारी के अधीन एएमसी निष्पादित की गयी है, उसका नाम और पता i) सेवा प्रदाता ने एएमसी अवधि के दौरान क्या योग्य इंजीनियर/ समन्वयक नियोजित किए थे?	
10	कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग करें)	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब
11	क्या वैंडर विवाचन के लिए गया? यदि हाँ तो दावे की कुल राशि प्रदान की गई कुल राशि	
12	5. सेवा प्रदाता की क्षमताओं पर टिप्पणी a) तकनीकी प्रवीणता b) वित्तीय मजबूती c) पर्याप्त तकनीकी सहायता जुटाना d) श्रमशक्ति जुटाना	उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब

e) सामान्य व्यवहार	
--------------------	--

नोट: सभी कॉलम भरे जाएं और विधिवत 'प्रतिहस्ताक्षरित' किए जाएं।

कार्यालय की मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

वचनपत्र/ क्षतिपूर्ति का प्रमाणपत्र

(वेंडर के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए।)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष

महात्मा गाँधी रोड

कानपुर -208 001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा

आपकी दिनांक की शीर्षांकित निविदा के जवाब में हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम निविदा में वर्णित सभी शर्तें पूरी करते हैं और

1. हम भाव प्रस्तुत करने के लिए उक्त निविदा में यथा उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार करते हैं।
2. हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि वाणिज्य बोली में हमने कोई शर्त नहीं लगाई है।
3. हम वारंटी देते हैं कि मरम्मत और रखरखाव सेवाएं / बेचे जाने वाले उत्पाद किसी व्यक्ति या किसी अन्य संस्था के किसी पेटेंट/ कॉपीराइट/ व्यापार रहस्य अथवा अन्य सम्पत्ति संबंधी अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम इस बात पर सहमत हैं कि इस वारंटी के किसी उल्लंघन अथवा कथित उल्लंघन के लिए हम बैंक के विरुद्ध किए गए किसी दावे या माँग, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्रवाई या कार्यवाही से बैंक की क्षतिपूर्ति करेंगे।
4. हम बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का पालन करेंगे।
5. हम महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
6. हम ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, केंद्रीय सरकार के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, पीएफ/ ईएसआई अधिनियम और देश में प्रचलित अन्य श्रम कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाली सभी बाध्यताओं का पालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाण पत्र/ दिवालियापन का फॉर्म

FORM OF BANKERS' CERTIFICATE FROM A SCHEDULED BANK

प्रमाणित किया जाता है कि हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार मेसर्स/ श्री जिनका पता हाशिए पर लिखा है, हमारे बैंक के ग्राहक हैं/ सम्मानित हैं और उन पर रु. (रुपए.....) तक के किसी समझौते के लिए विश्वास किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बिना किसी गारंटी या बैंक पर या किसी अधिकारी की किसी जिम्मेदारी के बगैर जारी किया जा रहा है।

(हस्ताक्ष)

कृते बैंक

नोट:

1. बैंकर का प्रमाणपत्र बैंक के पत्रशीर्ष पर, बंद लिफाफे में सूचीकरण प्राधिकारी को सम्बोधित होना चाहिए।

पार्टनरशिप फर्म के मामले में प्रमाण पत्र में उन सभी भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए जो बैंक के अभिलेख में हैं।

अनुपालन आव्यूह

क्र. सं. Sr. No.	पात्रता मानदंड Eligibility Criteria	Compliance (Yes/ No)	Deviation, if any	Whether documentary evidence submitted
1.	वेंडर को कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत भारतीय कम्पनी/ लिमिटेड कम्पनी या सीमित देयता भागीदारी अधिनिय 2008 से शासित सीमित देयता भागीदार फर्म होना चाहिए			
2.	विक्रेता की बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उनके ग्राहकों में अधिमानतः बैंक, वित्तीय संस्थाएं, सरकारी उपक्रम और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं शामिल होनी चाहिए।			
3.	वेंडर को बैंक से प्राप्त सभी सुविधाओं के प्रकार के साथ बैंक/शाखा के खाता संख्या और पते के साथ अपने बैंकर का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।			
4.	वेंडर को अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अर्जित शुद्ध लाभ और शुद्ध कीमत को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों के रखरखाव के लिए लागू)			
5.	वेंडर का पंजीकृत कार्यालय और पूर्ण सर्विस सेंटर कानपुर में होना चाहिए। वेंडर का कानपुर में रिपेयर सेंटर होना चाहिए जिसमें मरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ और उपकरण हों।			
6.	वेंडर के पास ओईएम प्रमाणीकरण या प्राधिकार या सेवा प्रदाता प्रमाणपत्र होना चाहिए।			
7.	वेंडर के पास सभी ब्रांडों और प्रकारों के पीसी (डेस्कटॉप और लैपटॉप), सर्वर, प्रिंटर, स्कैनर और संबंधित सहायक उपकरणों जैसे कंप्यूटर सिस्टम के प्रकारों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा को संभालने की क्षमता होनी चाहिए।			

8.	<p>वेंडर बैंक परिसर में एक टीम लीडर सहित तीन योग्य रेज़िडेंट इंजीनियरों की व्यवस्था करेगा। इन तीन रेज़िडेंट इंजीनियरों में से टीम लीडर कम्प्यूटर साइंस में बी.टेक./ 3 वर्ष के अनुभव सहित कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में मास्टर डिग्री धारक या प्रतिष्ठित आईटी कम्पनियों में 6 वर्ष के अनुभव युक्त होना चाहिए। अन्य रेज़िडेंट इंजीनियरों के पास कम्प्यूटर हार्डवेयर/ ऐप्लिकेशन/ नेटवर्किंग में डिप्लोमा सहित अपने संबंधित क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p>			
9.	<p>तीन रेज़िडेंट इंजीनियरों के साथ-साथ एक सहायक/ हेल्पर अवश्य उपलब्ध कराया जाए।</p>			
10.	<p>वेंडर से अपेक्षा है कि वह उन कम्प्यूटरों के लिए पहले स्तर का सपोर्ट प्रदान करे जो वारंटी के तहत हैं। पहले स्तर के सपोर्ट के दायरे में उपयोगकर्ताओं की कॉल प्राप्त करना और समस्या की पहचान करना शामिल है।</p>			
11.	<p>वेंडर को सर्वरों के लिए कम से कम 99.5%, कम्प्यूटरों के लिए 95% और सहायक उपकरणों के लिए 90% अपटाइम सुनिश्चित करना चाहिए।</p>			
12.	<p>वेंडर को कॉल ट्रैक करने और प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए ऑनलाइन कॉल लॉगिंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करना चाहिए। सभी रेज़िडेंट इंजीनियर ऑनलाइन कॉल लॉगिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सुविधा प्रबंधन के साथ समन्वय करेंगे।</p>			

13.	विक्रेता बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी संगठन, व्यक्ति, फर्म या उसकी फ्रेंचाइजी को एएमसी की उप-संविदा नहीं करेगा।			
14.	वैंडर बैंक में अपने कामगारों/ रेज़िडेंट इंजीनियरों को बीमा कवर प्रदान करेगा। कामगार/इंजीनियर या उनके कानूनी उत्तराधिकारी बैंक परिसर में कार्य करते समय कामगारों/इंजीनियरों को उनके जीवन या व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति पहुंचने की स्थिति में बैंक से किसी भी बीमा लाभ का दावा नहीं करेंगे।			
15.	ठेकेदार केंद्रीय सरकार के मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में यथा परिकल्पित सभी श्रम कानूनों तथा विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य है और वह सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम मजदूरी कुल मानव कार्यदिवसों और/ अथवा कार्य के घंटों पर आधारित हो, जिन्हें समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है। टीम लीडर समेत सभी तीनों इंजीनियर कुशल श्रमिक माने जाएंगे और हेल्पर को अकुशल श्रमिक माना जाएगा।			
16.	वैंडर ठेका श्रम (विनियम एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और देश में प्रचलित अन्य श्रम कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और ठेकेदार द्वारा किसी कानून के उल्लंघन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है और वैंडर श्रम कानूनों अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के कारण बैंक को होने वाले किसी नुकसान की भरपाई करेगा।			
17.	विक्रेता यह प्रमाणित करेगा कि बेची गई मरम्मत और रखरखाव सेवाएं/उत्पाद किसी अन्य व्यक्ति या अन्य इकाई के किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट,			

व्यापार रहस्य या अन्य संपत्ति अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।			
--	--	--	--

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक - VIII

भाग (क): सूचना प्रौद्योगिकी आस्तियों की सूची : वार्षिक रखरखाव संविदा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर मर्दों/ सहायक उपकरणों के विवरण			
क्र.	मर्दें	मात्रा	
	निर्माण वर्ष तथा मॉडल संख्या	एएमसी के अंतर्गत	वारंटी के अंतर्गत
डेस्कटॉप			
1.	HP Pro 600/800 SFF G1	49	0
2.	HP Pro 600/800 SFF G2	125	
3.	HP Pro 600/800 SFF G3	95	22
4.	HP Pro 600/800 SFF G4	14	85
5.	HP Elite One 800 G1 Touch AIO	08	0
6.	HP Elite One 800 G4 Touch AIO	0	04
	कुल	291	111
	सम्पूर्ण योग	402	
लैपटॉप			
1.	HP Pro Book 440G2	8	0
2.	HP Pro X2612G1	3	0
3.	HP PRO BOOK 440G3	15	0
4.	HP PRO BOOK 440G4	8	0
5.	HP Elite X21012G1	2	0
6.	HP Elite X21012G2	0	5
7.	HP PRO BOOK 440G4		6
8.	Dell latitude 5400	0	1
9.	Dell latitude 3400	0	12

	कुल	36	24
	सम्पूर्ण योग	60	
आई पैड			
1.	एपल आईपैड प्रो 11 इंच	5	0
2.	एपल आईपैड एयर		
	कुल	5	
प्रिंटर			
1.	HP Laserjet PRO M226	23	0
2.	HP Laserjet PRO M403	36	
3.	HP Laserjet PRO M1606	11	
4.	HP Laserjet PRO M400/401	16	
5.	HP Laserjet PRO 3015	11	
6.	HP Office Jet 8720	03	
7.	HP Laserjet 1536dnj	02	
8.	HP OJ8600plus	1	
9.	HP Laserjet 2055dn	8	
10.	HP Laserjet PRO M4015X	02	
11.	HP Laserjet 1020/1022	3	
12.	HP Laserjet PRO M1319F	01	
13.	HP Laserjet M429	02	
14.	HP COLOR LASERJET M479	08	
15.	HP Office Jet 8730	02	
	कुल	129	
स्कैनर			
1.	HP Scanjet 7000S3/S2	02	
2.	HP Scanjet Pro 4500	16	
3.	HP Scanner Scanjet 3000s3	9	
	कुल	27	
प्रोजेक्टर			
1.	Toshiba XC Projector	1	शून्य
2.	Toshiba Projector TLP-XC3000	1	
3.	Benq DLP MP 515	2	

4.	Benq DLP MX660P	3	
5.	Epson EH-TW 5200	1	
6.	Epson EH-TW 6700	3	
डिजिटल कैमरा			
1.	Nikon D3100	1	शून्य
2.	Nikon D5300	1	
3.	Nikon D5600	2	
	कुल	4	
एल ई डी स्क्रीन			
1.	LG LED TV 43UM7300PTA.ATR- 43 inch	4	शून्य
2.	LG LED TV 50UM7300PTA.ATR-50 inch	3	
3.	Panasonic 52 inch	1	
4.	Videocon 32 inch	1	
5.	Mi TV 32 inch	1	
6.	Sony 32 inch	1	
7.	Micromax 52 inch	1	
	कुल	12	
अन्य उपकरण			
1.	Konica Minolta Photocopy Machine (Bizhub 206)	1	
2.	External Hard disks(WD1 & 2TB)	10	
भाग (b): ऑपरेटिंग सिस्टम/ ऐप्लीकेशन पैकेजों के लिए तकनीकी सपोर्ट			
Sr.			
1.	विंडोज़ 10 और उससे ऊपर		
2.	ऑफिस 365 और उससे जुड़े माइक्रिसॉफ्ट ऐप्लिकेशन		
3.	सुविधा पोर्टल		
4.	सिमैटिक एंटीवाइरस		
5.	सिस्को नेट कनेक्ट सॉफ्टवेयर		
6.	एससीसीएम		
7.	स्थानीय मेडिकल पैकेज		
8.	बैंक में चलने वाले अन्य ऐप्लिकेशन		

नोट: उपर्युक्त सूची में कोई आईटी आस्ति जोड़ने/ हटाने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

अनुलग्नक IX

बयाना जमाराशि के लिए यूटीआर लेनदेन विवरण

क्र. सं.	अपेक्षाएं	विवरण
1	विक्रेता का नाम	
2	बैंक का नाम	
3	खाता संख्या	
4	आईएफएससी	
5	यूटीआर विवरण	
6	भुगतान की तारीख	

* सूक्ष्म और लघु उद्यम (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में यथा परिभाषित) के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली फर्मों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।

भाग II - वित्तीय बोली

**PART II - FINANCIAL
BID**

अनुलग्नक X

मूल्य बोली के लिए प्रपत्र / Format for Price Bid
(कम्पनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए।)

कार्य अर्थात् “भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य सहायक उपकरणों की वार्षिक रखरखाव संविदा” की लागत

आईटी उपकरणों की संख्या

Cost of the Work i. e. “Annual Maintenance Contract (AMC) for Computer Hardware, Software and Peripherals at Reserve Bank of India, Kanpur” **Number of IT equipments**

एएमसी की लागत के विवरण Description of cost of AMC	कुल राशि (रुपए)* / Total Amount (INR)*
तीन रेज़िडेंट इंजीनियरों और एक सहायक (निविदा दस्तावेज़ के पैरा में किए गए उल्लेख के अनुसार शिफ्टिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिए) समेत वार्षिक रखरखाव संविदा की कुल लागत	(ई-निविदा के भाग II में भरा जाए और अन्य अनुलग्नकों के साथ अपलोड न किया जाए।)

***सभी करें सहित**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

with seal

आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप
(कंपनी का पत्र शीर्ष)

सेवा में

दिनांक :

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष
महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर

महोदय

हमने ज्ञापन में उल्लिखित कार्यों और सेवाओं के दायरों की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में उल्लिखित साइट का अवलोकन किया है और निविदा को करने के लिए अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा वाणिज्यिक बोली में उल्लिखित दरों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर और लिखित में दिए गए विनिर्देशों और निर्देशों, जैसा कि अन्य सामाग्री में दिया गया है और सभी अन्य मामलों में इस स्थिति के अनुसार लागू हैं, के अनुसार ज्ञापन में दिए कार्यों और सेवाओं को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा बैंक को निविदा के भाग 1 के खोले जाने की तारीख से 90 दिनों के लिए स्वीकार्य बनी रहेगी और इस अवधि की वैधता बैंक और हमारी आपसी लिखित सहमति से बढ़ायी जा सकती है। हम इससे भी सहमत हैं कि निविदा दस्तावेज में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार, बयाना जमा राशि के लिए प्रस्तुत बैंक गारंटी को निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बैंक में ही रखा जाए।

3. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है तो मैं/ हम एतद्वारा इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों को मानने और पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हैं और इसमें किसी

प्रकार की चूक होने की स्थिति में आपको या आपके उत्तराधिकारी, या समनुदेशिनी अथवा नामिनी को निविदा और करार की लिखित स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

4. मैं जानता हूँ / हम जानते हैं कि बिना किसी कारण के निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आपके पास सुरक्षित है।

5. निविदा दो भागों में जमा करनी है। भाग I (तकनीकी बोली) में सभी नियम और शर्तें तथा तकनीकी विवरण दिया गया है, किंतु वाणिज्यिक बोली के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा गया है और भाग II (वाणिज्यिक बोली) में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली का उल्लेख किया गया है।

दिनांक : 2020

मैंसर्सके लिए और उनकी ओर से

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम

पदनाम

स्थान

दिनांक

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के मुख्तारनामा की सत्यापित सत्य प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की जानी है)

साक्षी :

(1) नाम सहित हस्ताक्षर
पता & तारीख

(2) नाम सहित हस्ताक्षर
पता & तारीख

तारीख

मुहर

अनुलग्नक - XII

Proforma of Bank Guarantee for Security Deposit
(To be submitted on Non-judicial stamp paper of appropriate value purchased in the
name of the issuing bank)

No. _____ Date _____

To:
The Regional Director
IT Cell
Reserve Bank of India
Kanpur

Dear Sir/Madam,

In consideration of your agreeing to accept the security deposit of INR ____ (INR ____ only) furnishable to you by Messrs _____ (hereinafter referred to as "the Vendor") in terms of their contract with you for "Annual Maintenance Contract (AMC) & Facility Management Service (FMS) for Computer Hardware, Software and Peripherals at Reserve Bank of India, Kanpur" as per their Tender dated ____ and your Conditions of Contract and other tender documents relating thereto subject to the conditions and alterations mutually agreed upon the set forth or referred to in your Contract dated ____ in the form of guarantee from us in the manner hereinafter contained, we ____ (Name of the Bank) do hereby covenant and agree with you as follows :

1. We undertake to indemnify you and keep you indemnified from time to time to the extent of INR ____ INR(____ only) against any loss or damage caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by you by reason of any breach or breaches on the part of the Vendor of any of the terms and conditions contained in the said Contract and in the event of the Vendor making any default or default in carrying out any of the work under the said Contract or otherwise in the observance and performance of any of the terms and conditions relating thereto in accordance with the true intent and meaning thereof, we shall forthwith on demand pay to you such sum or sums not exceeding in total the said sum of INR ____ (INR____ only) as may be claimed by you as your losses and/or damages, costs, charges or expenses by reason of such default on the part of the Vendor.
2. Notwithstanding anything to the contrary, your decision as to whether the Vendor has made any such default or defaults and the amount or amounts to which you are entitled

by reasons thereof will be binding on us and we shall not be entitled to ask you to establish your claim or claims under this Guarantee but will pay the same forthwith on your demand without any protest or demur.

3. This guarantee shall continue and hold good until it is released by you on the application by the Vendor after expiry of the relative guarantee period of 62 the said Contract and after the vendor had discharged all his obligations under the said Contract and produced a certificate of due completion of the work under the said contract and submitted a "No Demand Certificate", provided always that this guarantee shall in no event remain in force after the day of _____ without prejudice to your claim or claims arisen and demanded from or otherwise notified to us in writing before the expiry of six months from the said date which will be enforceable against us notwithstanding that the same is or are enforced after the said date.

4. Should it be necessary to extend this guarantee on account of any reason whatsoever, we undertake to extend the period of this Guarantee on your request till such time as may be required by you. Your decision in this respect shall be final and binding on us.

5. You will have the fullest liberty without effecting this guarantee from time to time to vary any of the terms and conditions of the said contract or extend the time of performance of the Vendor or to postpone for any time or from time to time any of your rights or powers against the Vendor and either to enforce or forbear to enforce any of the terms and conditions of the said Contract and we shall not be released from our liability under this guarantee by the exercise of your liberty with reference to matters aforesaid or by reason of any time being given to the Vendor or any other forbearance, act or omission on your part or any indulgence by you to the Vendor or by any variation or modification of the said contract or any other act, matter or things whatsoever, which under the law relating to sureties would but for the provisions hereof have the effect of so releasing us from our liability hereunder provided always that nothing herein contained will enlarge our liability hereunder beyond the limit of INR _____ (INR _____ only) as aforesaid.

6. This guarantee shall not in any way be affected by your taking or varying or giving up any securities from the Vendor or any other person, firm or Vendor on its behalf or by the winding up, dissolution, insolvency or death as the case may be, of the Vendor.

7. In order to give full effect to the guarantee herein contained you shall be entitled to act as if we were your principal debtors in respect of all your claims against the Vendor hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any, which are in any way inconsistent with any of the provisions of this guarantee.

8. Subject to the maximum limit of our liability as aforesaid, this guarantee will cover all your claim or claims against the Vendor from time to time arising out of or in relation to the said contract and in respect of which your claim in writing is lodged on us before expiry of six months from the date of expiry of this guarantee.

9. Any notice by way of demand or otherwise hereunder may be sent by special courier, telex, fax or registered post to our local address as aforesaid and if sent by post, it shall be deemed to have been given when the same has been posted.

10. This guarantee and the powers and provisions herein contained are in addition to and not by way of limitation of or substitution for any other guarantee or guarantees heretofore given to you by us (whether jointly with others or alone) and now existing uncanceled and that this guarantee is not intended to and shall not revoke or limit such guarantee or guarantees.

11. This guarantee shall not be affected by any change in the constitution of the vendor or us nor shall it be affected by any change in your constitution or by any amalgamation or absorption thereof or therewith but will ensure to the benefit of and be available to and enforceable by the absorbing or amalgamated Vendor or concern.

12. Any forbearance, act or omission on the part of the Bank in enforcing any of the conditions of the said tender or showing of any indulgence by the Bank to the Tenderer shall not discharge the Surety in any way and the obligations of the Surety under this guarantee shall be discharged only on the intimation thereof being given to the Surety by the Bank.

13. This guarantee is irrevocable during the period of its currency and shall not be revoked without your previous consent in writing.

14. We further agree and undertake to pay you without demur the amount demanded by you in writing notwithstanding any difference or dispute or controversy that may exist or arise between you and vendor or any other person.

15. Notwithstanding anything contained herein above our liability under this guarantee is restricted to INR _____ (INR _____ only). Unless a written claim is lodged on us for payment under this guarantee within six months from the date of expiry, including extensions if any, of this guarantee all your rights under the guarantee shall be forfeited and we shall be deemed to have been released and discharged from all liabilities thereunder, irrespective of whether or not the original guarantee is returned to us.

16. We have power to issue this guarantee in your favour under the Memorandum and Articles of Association of our Bank and the undersigned has full power to execute this Guarantee under the Power of Attorney granted to him by the Bank.

SIGNED AND DELIVERED

(For & on behalf of the above-named Bank)

For & on behalf of
(Banker's Name & Seal)

BRANCH MANAGER
(Banker's Seal)

Address _____